अधिसूचना सं0 17/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ.) केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 10/2008-सीमाशुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 33(अ), तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 169 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 334/15/ 2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/2008- सीमाशुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 33(अ), तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 50/2013-सीमाशुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 779(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।